राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(4)नविवि/भीलवाडा/2022 जयपुर, दिनांक 27.04.2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि :–

नगर विकास न्यास, भीलवाडा में नगर परिषद क्षेत्र भीलवाडा की सीमा में तिलक नगर योजना का विस्तार बनाना निश्चित किया है। जिसमें योजनाओं की सीमाएं निम्न प्रकार है :–

पूर्व :– भीलवाडा–माण्डलगढ रोड पर आराजी नम्बर 3733 ग्राम सुवाणा से प्रारंभ होकर प्रस्तावित रिंग रोड 200' को शामिल करते हुए रिंग रोड के सहारे–सहारे सुवाणा की आराजी नम्बर 3314 तक एवं ग्राम हरणीकलां की आराजी नम्बर 266 माईनर नहर के सहारे–सहारे मेजा बांध को मुख्य नहर आराजी नम्बर 519 ग्राम हरणीकलां तक।

पश्चिम :– भीलवाडा–माण्डलगढ रोड पर आराजी नम्बर 1131, 1132 ग्राम भीलवाडा से प्रारंभ होकर आराजी नम्बर 1224 आबादी ग्राम भीलवाडा को काटती हुई आराजी नम्बर 1629 तक एवं हरनी महादेव रोड के सहारे–सहारे नहर तक।

उत्तर :– भीलवाडा–माण्डलगढ रोड के सहारे–सहारे आराजी नम्बर 1131, 1132 ग्राम भीलवाडा से प्रारंभ होकर सुवाणा ग्राम की सीमा को काटते हुए ग्राम सुवाणा के आराजी नंबर 3733 तक।

दक्षिण :– भीलवाडा हरनी महादेव रोड पर नहर के कोने आराजी नम्बर 595 ग्राम हरनी से प्रारंभ होकर नहर के सहारे–सहारे आराजी नम्बर 519 ग्राम हरनी व सुवाणा माईनर नहर के कोने तक व ग्राम हरणीकलां के आराजी नम्बर 266 से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120' रोड को शामिल करते हुए 120' रोड के सहारे–सहारे सुवाणा आराजी नम्बर 3314 तक।

उक्त योजना में उपरोक्त सीमाओं में समविष्ठ क्षेत्र राजस्व ग्राम भीलवाडा, सुवाणा, नई ईरास हरनीकलां की भूमि है। उपयुक्त योजना की विशिष्ठया योजना में समविष्ठ क्षेत्र का नक्शा व

प्रस्तावित रूप में अवाप्त की जाने वाली भूमि का विवरण नगर विकास न्यास, भीलवाडा के कार्यालय में कार्य दिवसों में अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे तक देखा जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, भीलवाडा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.04.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम